संख्या-13/1437/38-3-2015-1120/2013

प्रेषक,

कामता प्रसाद,

अनुसचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

ग्राम्य विकास,

उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक- 20 अगस्त, 2015

विषय-खण्ड विकास कार्यालयों के रख-रखाव/कंटीजेंसी आदि से सम्बन्धित धनराशि मुख्यालय स्तर से सीधे आवंटित करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0ओ0-63/बजट अनु0/वि0ख0कंटीजेंसी/2015-16, दिनांक 31 जुलाई, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त विकासखण्ड में कुल ग्राम पंचायत की संख्या के आधार पर निम्नवत् श्रेणीबद्ध करने का निर्णय लिया गया हैः-

श्रेणी	मानक	चिन्हित विकास खण्ड की संख्या
ए	80 या अधिक ग्राम पंचायतों वाले विकास खण्ड	134
बी	50 से 79 ग्राम पंचायतों वाले विकास खण्ड	512
सी	49 या उससे कम ग्राम पंचायतों वाले विकास खण्ड	175

2- उपर्युक्तानुसार किये गये श्रेणी निर्धारण के अनुसार विकास खण्डों को मुख्यालय स्तर से ही 1.5:1.25:1 के अनुपात में धनराशि का आवंटन किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त निर्णय के अनुसार खण्ड विकास कार्यालयों के रख-रखाव/कंटीजेंसी आदि से सम्बन्धित धनराशि मुख्यालय स्तर से सीधे आवंटित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कामता प्रसाद)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in